रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082022-238474 CG-DL-E-31082022-238474

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] No. 587] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

सा.का.िन. 663(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के साथ पिठत धारा 2 के खंड (31), धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2022 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में,-
- (क) नियम 16 में, "कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित होगी", शब्दों के पश्चात्, "और उस आशय की घोषणा लेखापरीक्षक द्वारा प्ररूप डीपीटी 3 में प्रस्तुत की जाएगी।" शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- (ख) उपाबंध में, प्ररूप डीपीटी 3 और डीपीटी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात:-

5789 GI/2022 (1)

जमा व [कंपनी नियम	हीपीटी-3  ति विवरणी  ं (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के  16 और 16क के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते		ती भाषा जी O हिंदी
	ारने के लिए निर्देश देखें में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।			
कंपनी स्	•			
	 रपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)			
2.	(क) *कंपनी का नाम			
	(ख) *रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता			_
	(ग) *ई-मेल आईडी			
3.	*प्ररूप का प्रयोजन			
	o जमा की विवरणी			
	o किसी कंपनी द्वारा संव्यवहारों का विव के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया		की स्वीकृति) निय	ग्म, 2014 के नियम 2(1)(ग
	o किसी कंपनी द्वारा जमा की विवरणी औ	ौर संव्यवहारों का विवर	ण जिसे जमा नहीं	ं माना गया है।
	<ul> <li>कंपनी द्वारा प्रदत्त बकाया धन या ऋ नियम, 2014 के नियम 2 (1) (ग) के व</li> </ul>			•
4.	*क्या कंपनी है O सा	र्वजनिक कंपनी (	🔾 निजी कंपनी	
5.	*क्या कंपनी सरकारी कंपनी है	O हां O नहीं		
6.	*कंपनी के उद्देश्य			
7. कर	या पब्लिक द्वारा जमा को स्वीकृत किया गय	г?		
8.	(क) * अवधि जिसके लिए रिटर्न फाइल कि	ज्या जा रहा है (तारीख/ग	गह/वर्ष)	
	(ख) विज्ञापन व परिपत्र जारी करने की ता	रिख (तारीख/माह/वर्ष)		
	(ग) विज्ञापन या परिपत्र की वैधता समाप्त	होने की तारीख (तारीख	ब्र/माह/वर्ष)	
9.	विवरणी की तारीख से पहले लेखापरिक्षित	। अंतिम तुलन पत्र के अर्	नुसार निवल मूल्य	-

क्रम	सं. विवरण	रकम (रुपयों में)
(क) (i)	प्रदत्त शेयरपूंजी	
(i	i) मुक्त आरक्षितियां	
(ii	ii) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	
(ख) (i)	संकलित हानि	
(i	i) स्थगित राजस्व व्यय का शेष	
(ii	ii) उपलब्ध न कराया गया कुल अवमूल्यन	
(ir	v) विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च	
(\	v) अन्य अमूर्त आस्तियां	
(ग)	निवल मूल्य (क) – (ख)	
(ঘ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनियों	
	और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त	
	का 35%)	
10.	(क) 01 अप्रैल को जमाधारकों की कुल संख्या	
	(ख) वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा धारकों की कुल संख्या	
11. जम	ा का विवरण (रूपयों में)	
(ক)	01 अप्रैल को वर्तमान जमा रकम	
(ख)	वर्ष के दौरान नवीकृत जमा रकम	
(ग)	वर्ष के दौरान स्वीकृत नई जमा रकम	
(ग) (i) प्र	ातिभूत जमा	
(ii)	अप्रतिभूत जमा	
(ঘ)	वर्ष के दौरान लौटाई गई जमा रकम	
(ड.)	वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष	
12.	(क) जमा रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया	
	(ख) जमा रकम जो परिपक्व हो गई है और जिसका दावा किया गया, परंतु	भुगतान नहीं किया गया
13.	नकद आस्तियों का विवरण	
(क) विर्त्त	ीय वर्ष के अंत में परिपक्व   होने वाली जमा रकम और आने वाले आगामी वर्ष में परिष	ाक्व होने वाली जमा रकम
 (ख) नक	 द आस्तियों में निवेश करने के लिए अपेक्षित राशि	_

(ग) नकद आस्तियों का विवरण
(ग) (i) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में राशि
(ii) केंद्रीय/राज्य सरकार की विल्लंगम रहित प्रतिभूतियां मूल्य
प्राक्ष्य मूल्य
बाजार मूल्य
(iii) विल्लंगम रहित न्यास प्रतिभूतियां
प्राक्ष्य मूल्य
बाजार मूल्य
14. प्रभार का विवरण
(क) प्रभारों की संख्या
(ख) सीएचजी-1 / सीएचजी- 9 का एसआरएन प्रभार सृजन के लिए फाइल
15. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी द्वारा उस धन या ऋण की प्राप्ति का विवरण जिसे जमा नहीं माना गया

				· · ·			-00-	~ ~.
विवरण			का विवरण (रु		l	ऋण की अवधि (वर्षों में)		
	प्रारंभिक	वर्ष के	वर्ष के	कोई अन्य	जमा	1 वर्ष से	1 वर्ष से	3 साल से
	जमा	दौरान	दौरान	समायोजन	शेष	कम या	अधिक और	अधिक समय
		अतिरिक्त	पुनर्भुगतान			उसके	3 वर्ष से	से बकाया
		ऋण				बराबर के	कम समय के	ऋण
						लिए	लिए बकाया	
						बकाया	ऋण	
						ऋण		
	(i)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(vii)	(VIII)
से प्राप्त कोई								
भी राशि –								
(i) केन्द्र								
सरकार; या								
,								
(ii) राज्य								
सरकार; या								
किसी अन्य								
स्रोत से प्राप्त								
कोई भी								
राशि जिसकी								
पुनर्भुगतान								
केंद्र सरकार								

İ	1	j i	1	1	j i		,
या राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है; या							
(iii) स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त कोई भी राशि; या							
(iv) संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधान-मंडल के अधीन गठित सांविधिक प्राधिकारी से राश							
से प्राप्त कोई भी राशि –							
(i) विदेशी सरकारें; या							
(ii) विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंक;							
(iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाएं;							
(iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्थाएं;							
(v) विदेशी							

	_	_	-		
निर्यात ऋण एजेंसियां;					
(vi) विदेशी सहयोगी;					
(vii) विदेशी निकाय कारपोरेट;					
(viii) विदेशी नागरिक;					
(ix) विदेशी प्राधिकारियों या;					
(x) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अध्यधीन भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति।					
के रूप में प्राप्त कोई भी राशि - (i) किसी भी बैंकिंग कंपनी से ऋण या सुविधा; या					
(ii) भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी सहायक बैंक से; या					
(iii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम,					

			1		1
1949					
(1949 का					
10) की धारा					
51 के तहत					
्रा क तहत					
केंद्र सरकार					
द्वारा					
अधिसूचित					
बैंकिंग					
संस्थान से;					
या					
(iv) बैंकिंग					
कंपनी					
(उपक्रमों का					
अर्जन और					
अंतरण)					
अधिनियम,					
1980					
(1980 का					
40) की धारा					
2 के खंड (घ)					
में यथा					
परिभाषित					
तदनुरूपी					
नया बैंक; या					
( ) :					
(v) भारतीय					
रिज़र्व बैंक					
अधिनियम,					
1934					
(1934 का					
2) की धारा					
2 के खंड (ख-					
ii) में यथा					
परिभाषित					
सहकारी बैंक					
से।					
ऋण या					
वित्तीय					
सहायता के					
रूप में प्राप्त					
कोई भी					
राशि से –					
राशिस –					
(i) केन्द्र					
सरकार द्वारा					
अधिसूचित					

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं; या				
(ii) कोई भी क्षेत्रीय वित्तीय संस्था; या				
(iii) बीमा कंपनियां; या				
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक।				
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या अधिसूचना के अनुसार जारी वाणिज्यिक पत्र या किसी अन्य लिखत				
जारी करने के खिलाफ प्राप्त कोई भी राशि।				
किसी अन्य कंपनी से कंपनी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।				
किसी भी प्रतिभूति के लिए अंशदान के लिए अधिनियम के				

	1		1	1		
प्रावधानों के						
अनुसार प्राप्त						
और धारित						
कोई भी						
राशि, जिसमें						
शेयर आवेदन						
धन या						
आवंटन						
लंबित						
प्रतिभूतियों						
त्रातम् । तथा						
के आवंटन						
की दिशा में						
अग्रिम						
शामिल है,						
जब तक कि						
ऐसी राशि						
केवल के लिए						
आवेदन की						
गई						
प्रतिभूतियों						
के आवंटन						
पर देय राशि						
के खिलाफ						
विनियोजित						
की जाती है।						
किसी ऐसे						
व्यक्ति से प्राप्त						
कोई भी						
राशि, जो						
राशि की						
प्राप्ति के						
समय, कंपनी						
का निदेशक						
या किसी						
निजी कंपनी						
के निदेशक						
का रिश्तेदार						
था।						
(ए) कंपनी						
की अमूर्त						
परिसंपत्तियों						
को छोड़कर						
अधिनियम						
की अनुसूची						
III में निर्दिष्ट						
किसी भी						
संपत्ति पर						
71 1711 17	]					

पहले शुल्क							
के साथ पहले							
शुल्क या							
सुरका वा							
चार्ज रैंकिंग							
पारी पासू							
द्वारा सुरक्षित							
बांड या							
डिबेंचर के							
मुद्दे द्वारा							
मुद्धारा							
जुटाई गई कोई भी							
कोई भी							
राशि; या							
(बी) बांड या							
(बा) बाड या डिबेंचर							
अनिवार्य रूप							
से दस वर्षों							
के भीतर							
कंपनी के							
शेयरों में							
परिवर्तनीय।							
गैर-							
परिवर्तनीय							
डिबेंचरों के							
मुद्दे द्वारा							
जुटाई गई कोई भी							
कोई भी							
राशि जो							
कंपनी की							
कपना का <u>• • • •</u>							
परिसंपत्तियों							
पर प्रभार का							
गठन नहीं							
करती है और							
भारतीय							
प्रतिभूति और							
विनिमय							
बोर्ड द्वारा							
बनाए गए							
लागू							
विनियमों के							
अनुसार							
मान्यता प्राप्त							
स्टॉक							
एक्सचेंज पर							
77/149/45   <del>11=1</del>							
सूचीबद्ध							
होती है।							
कंपनी के							
	I	I .	ı	l .	l .		

	I	I	T	T		
किसी						
कर्मचारी से						
प्राप्त कोई भी						
राशि जो गैर-						
ब्याज वाले						
प्रतिभूति						
जमा की						
प्रकृति में						
कंपनी के						
साथ रोजगार						
के अनुबंध के						
तहत अपने						
वार्षिक वेतन						
से अधिक						
नहीं है।						
किसी भी						
ाकसा मा गैर-ब्याज						
गर-ब्याज वाली राशि						
प्राप्त और						
ट्रस्ट में रखी						
गई।						
कंपनी के						
व्यवसाय के						
दौरान या						
उसके						
प्रयोजनों के						
लिए प्राप्त						
कोई भी						
राशि-						
(i) माल की						
आपूर्ति के						
लिए अग्रिम						
के रूप में या						
सेवाओं के						
प्रावधान के						
लिए किसी						
भी तरीके से						
जिम्मेदार है						
बशर्ते कि इस						
तरह के						
अग्रिम को						
माल की						
आपूर्ति या रोजाओं के						
सेवाओं के						
प्रावधान के						
खिलाफ ऐसी						

अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिनों की अवधि के भीतर विनियोजित किया जाता है।				
(ii) किसी समझौते या व्यवस्था के तहत अचल संपत्ति के लिए विचार के संबंध में प्राप्त किसी भी तरीके से जो भी अग्रिम के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि इस तरह की अग्रिम समझौते या व्यवस्था की शतों के अनुसार ऐसी संपत्ति के खिलाफ समायोजित की जाती है।				
(iii) माल की आपूर्ति के अनुबंध या सेवाओं के प्रावधान के निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में।				

(iv) कंपनी					
(10) 4/4/11					
(जमाराशियों					
की स्वीकृति)					
नियमावली,					
2014 के					
नियम (2) के					
उप-नियम					
(1) के					
उप-नियम					
(1) के मद					
(बी) के तहत					
कवर किए					
गए उत्पादों					
को छोड़कर					
पूंजीगत					
वस्तुओं की					
आपूर्ति के					
लिए 					
199					
दीर्घकालिक ्					
परियोजनाओं					
के तहत प्राप्त					
अग्रिम के रूप					
में।					
(v) लिखित					
अनुसार					
वारंटी अथवा					
अनुरक्षण					
संविदा के					
रूप में भावी					
सेवाएं प्रदान					
करने के लिए					
विचार करने					
की दिशा में					
अग्रिम के रूप					
में, यदि ऐसी					
सेवाएं प्रदान					
करने की					
अवधि					
सामान्य					
व्यवसाय					
पद्धति के					
अनुसार					
प्रचलित					
171/1/1	<u> </u>		<u> </u>		

अवधि या ऐसी सेवा की स्वीकृति की तारीख से, जो भी कम हो, से पांच वर्ष से अधिक नहीं है।				
(vi) किसी क्षेत्रीय विनियामक द्वारा प्राप्त और अनुमत अग्रिम के रूप में या केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशों के				
(vii) प्रकाशन की ओर अभिदान के लिए अग्रिम के रूप में, चाहे वह प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में, ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है।				
किसी     भी       उधार     वित्तीय       संस्थान     की       शर्त     के       अनुसरण     में       असुरक्षित     ऋणों     के       माध्यम     से       कंपनी     के				

		ı	1		
प्रमोटरों द्वारा					
लाई गई कोई					
भी राशि।					
अधिनियम					
की धारा					
406 के तहत					
100 11 (10)					
बनाए गए नियमों के					
अनुसार					
निधि कंपनी					
द्वारा प्राप्त					
कोई भी					
राशि।					
चिट फंड					
अधिनियम,					
1982					
(1982 का					
4) के तहत					
चिट के संबंध					
में सदस्यता					
के माध्यम से					
प्राप्त कोई भी					
राशि।					
भारतीय					
प्रतिभूति और					
विनिमय					
बोर्ड द्वारा					
तैयार किए					
गए नियमों					
के अनुपालन					
में किसी भी					
म ।कता मा					
सामूहिक					
निवेश					
योजना के					
तहत कंपनी					
द्वारा प्राप्त					
द्वारा प्राप्त कोई भी					
भा भा					
राशि।					
किसी					
स्टार्टअप					
कंपनी द्वारा					
प्राप्त पच्चीस					
लाख रुपये					
या उससे					
अधिक की					
कोई भी					
नगर मा					
राशि,					

परिवर्तनीय					
नोट (इक्विटी					
शेयरों में					
परिवर्तनीय					
या जारी					
करने की					
तारीख से					
पांच साल से					
अधिक नहीं					
की अवधि के					
भीतर चुकाने					
योग्य) के					
माध्यम से					
एक ही किश्त					
में, किसी					
व्यक्ति से।					
किसी कंपनी					
द्वारा प्राप्त					
कोई भी					
राशि –					
(i) वैकल्पिक					
निवेश					
निधियां;					
(ii) घरेलू					
उद्यम पूंजी					
निधियां					
(iii)					
, <i>)</i> अवसंरचना					
निवेश न्यास;					
ारावरा रवारा,					
(; , <del>)                                  </del>					
(iv) रियल					
एस्टेट ्.					
इन्वेस्टमेंट					
ट्रस्ट;					
(v) भारतीय					
प्रतिभूति और					
विनिमय					
बोर्ड के साथ					
पंजीकृत					
म्यूचुअल फंड					
			<u></u>		

(क) से (एजेंसी का नाम)

\*पदनाम

(निदेशक /प्रबंधक/ कंपनी सचिव/ सीएफओ / सीईओ)		
* निदेशक का डीआईएन या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ	या सदस्यता का डीआईएन या पैन	Г
कंपनी सचिव की संख्या		
		सेव कर जमा
नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूतों के लिए		ति किया जाता है जो क्रमशः
यह ई-फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस शुद्धता के कथन के आधार पर लिया गया है।	ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर औ	रि कंपनी वाई द्वारा दिए गए
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:		
ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)		
ई-फॉर्म फाइल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)		
यह ई-फॉर्म एतद्वारा अनुमोदित या पंजीकृत है		
इस ई-फॉर्म को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है		
प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर		डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)		
प्ररूप सं. डीपीटी-4	प्रपत्र भाषा	
सत्यमेव जयते		O अंग्रेजी <sup>O</sup> हिंदी
अधिनियम के	प्रारंभ पर विद्यमान जमाराशियों	के संबंध में विवरण
[कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के निय	ाम 20 के अनुसरण में]	
फॉर्म भरने के लिए अनुदेश किट देखें		
* सभी में चिह्नित सभी फ़ील्ड		
कंपनी का विवरण		
1 * कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)		
2 (क) * कंपनी का नाम		
(ख) *पंजीकृत कार्यालय का पता		

फ़ाइल चुनें

फ़ाइल चुनें

अधिकतम 2 🗆 🗆 🗆

हटाना

हटाना

डाउनलोड

डाउनलोड

	*जमाकर्ताः	$\sim$	
₹ <b>a</b> 1	^जमाकताः	भ्राका	सचा
· ~ /	-1.11 1.711		्रा

ग) स्वैच्छिक अनुलग्नक - यदि कोई हो तो

घोषणा	
मैं संकल्प संख्या के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत	r R
*दिनांकित *(दिन/माह/वर्ष)	इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के
लिए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताएं और इस प्र	ग्पत्र की विषय वस्तु के संबंध में उसके तहत बनाए
गए नियमों और उसके आनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है	ŢI
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी इस रूप भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है. * द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित करने के लिए	के अनुलग्नकों सहित सही, सत्य और पूर्ण है और कुछ डीएससी बॉक्स डीएससी बॉक्स
* पदनाम	
(निदेशक/प्रबंधक/सीईओ/सीएफओ/कंपनी सचिव)	
* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डीआईएन या पैन	
प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख	या
	जमा करें
टिप्पणी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावध क्रमश: झूठे विवरण/प्रमाण पत्र के लिए दण्ड और झूठे साक्ष्यों के लिए	•
यह ईएफओआरएम इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों के रजिस् शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है। —	ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल और कंपनी द्वारा दिए गए
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-फॉर्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-फॉर्म दाखिल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
२-काम पाखिल करमें का ।साथ (पिन/माह/विष)	" [
	[फा. सं. 01/8/2013-सीएल-V (भाग- VI)]
	मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 256(अ), तारीख 31 मार्च 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे-

- (1) तारीख 6 जून, 2014 की सा.का.नि. 386(अ);
- (2) तारीख 31 मार्च, 2015 की सा.का.नि. 241(अ);
- (3) तारीख 15 सितंबर, 2015 की सा.का.नि. 695(अ);
- (4) तारीख 29 जून, 2016 की सा.का.नि. 639(अ);
- (5) तारीख 11 मई, 2017 की सा.का.नि. 454(अ);
- (6) तारीख 19 सितंबर, 2017 की सा.का.नि. 1172(अ);
- (7) तारीख 5 जुलाई, 2018 की सा.का.नि. 612(अ);
- (8) तारीख 22 जनवरी, 2019 की सा.का.नि. 42(अ);
- (9) तारीख 30 अप्रैल, 2019 की सा.का.नि. 341(अ);
- (10) तारीख 07 सितंबर, 2020 की सा.का.नि. 548(अ)।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2022

- **G.S.R.** 663(E).—In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2, section 73 and section 76 read with sub- sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-
- 1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014,-
- (a) in rule 16, after the words "auditor of the company", the words, letters and figure "and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in Form DPT-3" shall be inserted;
- (b) in the Annexure, for Form DPT-3 and Form DPT-4, the following shall be substituted, namely: -



"Form No. DPT-3

Form language

Return of deposits
--------------------

Hindi

[Pursuant to rule 16 and rule 16A of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

pRefer instruction kit for filing the form All fields marked in \* are mandatory

**Company Information** 

1 *Corporate Identity Number (CIN)	
1 , , ,	
2 (a) *Name of the Company	

a(i)	Paid up share capital				
Sl.No	Particulars	Amount (in Ruj	pees)		
9 Net Wort	h as per the latest audited balance sheet preceding	the date of the r	eturn-		
(c) Dute of c	April of variates of advertisement of eneutin (DD/M	111/1			
` '	(c) Date of expiry of validity of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)				
(b) Date of i	ssue of advertisement or circular (DD/MM/YYYY)				
8 (a) *Period	d for which return is being filed (DD/MM/YYYY)				
7 Whether d	eposits have been accepted from public	O Yes		O No	
6 *Objects of	of the company				
5 *Whether	the company is a government company	O Yes		O No	
4 *Whether	the company is	O Public	Company	Private Company	
	the Return for disclosure of details of outstanding mon sits as per rule 2(1)(c) of the Companies (Acceptance			npany but not considered	
O Return	of Deposit and particulars of transactions by a compa	any not considered	d as deposi	t	
	lars of transactions by a company not considered as cance of Deposit) Rules, 2014	leposit as per rule	2(1)(c) of	the Companies	
Return	of Deposit				
3 *Purpose of	of the Form				
(c) *email	l id				
(b) *Regis	stered office address				
		Г			

Sl.No	Particulars	Amount (in Rupees)
a(i)	Paid up share capital	
(ii)	Free reserves	
(iii)	Securities Premium Account	
b(i)	Accumulated Loss	
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	
С	Net worth (a) – (b)	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

Sl.No	Particulars	Amount (in Rupees)
d	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)	
10 (a) Total	number of deposit holders as on 1st April	
(b) Total	number of deposit holders at the end of financial year	r
11 Particula	ars of deposits (In Rupees)	
(a) Amor	unt of existing deposits as at 1st April	
(b) Amor	unt of deposits renewed during the year	
(c) Amor	unt of deposits accepted during the year	
(c)(i) Sec	ured deposits	
(ii) Unsec	cured deposits	
(d) Amor	unt of deposits repaid during the year	
(e) Balar	nce of deposits outstanding at the end of the year	
12 (a) Amou	unt of deposits that have matured but not claimed	
(b) Amor	unt of deposits that have matured and claimed but not	paid
13 Particula	ars of liquid assets	
(a) Amor	unt of deposits maturing on or before 31st March nex	t year
and	following next year	
(b) Amor	unt required to be invested in liquid assets	

(c) Details of liquid assets	
(d) (i) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, any scheduled bank	with
(ii) Unencumbered securities of Central/State Government	
Face Value	
Market Value	
(iii) Unencumbered trust securities	
Face Value	
Market Value	
14 Particulars of charge	
<ul><li>(a) Number of charges</li><li>(b) SRN of CHG-1/CHG-9 filed for creation of charge</li></ul>	

15 Particulars of receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, at the end of financial year, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules,2014

Particulars		Details	of loan (i	n INR)		Ageing of loan (in Years)		
	Opening	Additional	Repaid	Any other	Closing	Loans	Loans	Loans
	balance	loan	during	adjustment	balance	outstanding	outstanding	outstanding
		during the	the			for less	for more	for more
		year	year			than or	than 1 year	than 3
						equal to 1	and less	years
						year	than 3	
							years	
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)
Any amount received from –								
(i) the Central Government; or								
(ii) a State								
Government; or								
any amount								
received from								
any other source								
whose								
repayment is								
guaranteed by								

the Central Government or State Government; or				
(iii) any amount received from a local authority; or				
(iv) any amount received from statutory authority constituted under an Act of Parliament or a State Legislature				
Any amount received from –  (i) Foreign Governments;				
or  (ii) Foreign or international banks;				
(iii) Multilateral financial institutions;				
(iv) Foreign Governments owned development financial institutions;				
(v) Foreign export credit agencies;				
(vi) Foreign collaborators;				
(vii) Foreign body corporates;				
(viii) Foreign citizens;				
(ix) Foreign authorities or;				
(x) Persons residents outside India subject to the provisions				

of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).						
Any amount received as - (i) A loan or facility from any banking company; or						
(ii) From the state Bank of India or any of its subsidiary banks; or						
(iii) From a banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or						
(iv) A corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or						
(v) From a cooperative bank as defined in clause (b-ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).						
Any amount received as loan or financial assistance from						
(i) Public		L	L	<u> </u>		

Financial					
Institutions					
notified by the					
Central					
Government; or					
(ii) Any					
regional					
financial					
institutions; or					
,					
(iii) Insurance					
companies; or					
companies, or					
( ) ( ) ( ) ( )					
(iv) Scheduled					
Banks as					
defined in the					
Reserve Bank of					
India Act,1934					
(2 of 1934).					
Any amount					
received against					
issue of					
commercial					
paper or any					
other					
instruments					
issued in					
accordance with					
the guidelines or					
notification					
issued by the					
Reserve Bank of					
India.					
Any amount					
received by the					
company from					
any other					
company.					
Any amount					
received and					
held pursuant to					
an offer made in					
accordance with					
the provisions					
of the Act					
towards					
subscription to					
any securities					
including share					
application					
money or					
advance towards					
allotment of					
securities					
pending					
allotment, so					
long as such					
amount is					
appropriated					
only against the			_		

amount due on					
allotment of					
securities					
applied for.					
Any amount					
received from a					
person who, at					
the time of the					
receipt of the					
amount, was a director of the					
company or the					
relative of the					
director of a					
private					
company.					
(A) Any amount					
raised by the					
issue of bonds					
or debentures					
secured by a					
first charge or a					
charge ranking					
pari passu with					
the first charge					
on any assets					
referred to in					
Schedule III of					
the Act					
excluding					
intangible assets					
of the company;					
or or					
(B) bonds or					
debentures					
compulsorily					
convertible into					
shares of the					
company within					
ten years.					
Any amount					
raised by the					
issue of non-					
convertible					
debentures not					
constituting a					
charge on the					
assets of the					
company and					
listed on					
recognized					
stock exchange					
as per					
applicable					
regulations					
made by					
Securities and					
Exchange Board					
of India.					
		i			

Any amount					
received from					
an employee of					
the company not					
exceeding his					
annual salary					
under a contract					
of employment					
with the					
company in the					
nature of non-					
interest bearing					
security deposit.					
Any non-					
interest bearing					
amount received					
and held in					
trust.					
Any amount					
received in					
course of, or					
for the					
purposes of the					
business of the					
company-					
<b></b>					
(i) As an					
advance for					
supply of goods					
or provision of					
services					
accounted for in					
any manner					
whatsoever					
provided that					
such advance is					
appropriated					
against supply					
of goods or					
provision of					
services within					
a period of three					
hundred and					
sixty-five days					
from the date of					
acceptance of					
such advance.					
(ii) As advance					
accounted for in					
any manner					
whatsoever,					
received in					
connection with					
consideration					
for immovable					
property under					
an agreement or					
arrangement,					
provided that					
such advance is	]	<u> </u>			

adjusted against such property in accordance with the terms of agreement or arrangement.				
(iii) As security deposit for performance of the contract of supply of goods or provision of services.				
(iv) As advance received under long term projects for supply of capital				
goods except those covered under item (b) of sub-clause				
(xii) clause (c) of sub-rule (1) of rule (2) of the Companies (Acceptance of				
Deposits) Rules, 2014.				
advance towards consideration for providing future services in the form of a warranty or maintenance contract as per written agreement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less.				
(vi) As advance received and allowed by any				

sectoral					
regulator or in					
accordance with					
directions of					
Central or State					
Government					
Government					
(::) A					
(vii) As an					
advance for					
subscription					
towards					
publication,					
whether in print					
or electronic to					
be adjusted					
against receipt					
of such					
publications.					
Any amount					
brought in by					
promoters of the					
company by					
way of					
unsecured loans					
in pursuance of					
the stipulation					
of any lending					
financial					
institution.					
Any amount					
received by a					
Nidhi company					
in accordance					
with the rules					
made under					
section 406 of					
the Act.					
Any amount					
received by way					
of subscription					
in respect of chit					
under the Chit					
Funds Act,					
1982(4 of					
1982).					
Any amount					
received by					
company under					
any collective					
Investment					
scheme in					
compliance with					
regulations					
framed by the					
Securities and					
Exchange Board					
of India.					
Any amount of					
twenty-five lakh					
rupees or more					
rupces of filore		<u> </u>			

received by a						
startup						
company, by						
way of convertible note						
(convertible into						
equity shares or						
repayable within						
a period not						
exceeding five						
years from the						
date of issue) in						
a single tranche,						
from a person.						
Any amount						
received by a						
company from						
_						
(i) Alternate						
Investment						
Funds;						
,						
(ii) Domestic						
venture Capital						
Funds						
(iii)						
Infrastructure						
Investments						
Trusts;						
(iv) Real Estate						
Investment						
Trusts;						
(v) Mutual						
Funds registered						
with the						
Securities and						
Exchange Board of India						
OI IIIuIa						
14 G . 11 D . 11	14 . 1					
16 Credit Rating	optained:					
(a) From (Nam	e of the age	ency)				
(4) 11011 (11411	or the ug	,				
(b) Rating						
Č					·	
(c) Date of obt	aining cred	it rating (DD/	MM/YYY	YY)		
45 400 27 200			<i>0</i> :1 1			
17 *SRN of GNL	torm in wh	ich DPT-1 is	filed			
						_
18 Total amounts	of outstand	ina manaria	, 100m maaa	ivad by a com	 not considered	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 as specified in rule 16(A)(3)

Attachments			
(a) Copy of trust deed	Max 2 MB	Choose	Remove
	14 A14D	C;	
(b) List of depositors (excel format)	Max 2 MB	Choose	Remove
(c) Optional attachment,	Max 2 MB	Choose	Remove Download
Declaration by Statutory Auditor			
I hereby duly certify that the amount specified in line with the relevant provisions of the Comp		and 'Particulars of liqu	id assets' is correct and
*To be digitally signed by		I	DSC BOX
*Name			
*Designation			
*Membership Number/Certificate of Practice N	lumber		
Declaration			
I am authorised by the Board of Directors of the Dated	e Company vide resolution	on no *	
* to sig 2013	n this is form and declare 3 and the	e that all the requireme	nts of Companies Act,
rules made thereunder in respect of the subject with. I also declare that all the information give to this form and nothing material has been supp	n herein above is true, co		
*To be digitally signed by			DSC BOX
*Designation			<b>V</b>
(Director/Manager/Company Secretory/CFO/ (	CEO)		
*DIN of the director OR DIN or PAN of the ma	anager or CEO or CFO C	OR membership	
number of the company secretary			
			Save

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on

the basis of statement of correctness given by the company.

For office use only:	
eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)  This eForm is hereby approved or registered	
This eForm is hereby rejected	
Digital signature of the authorising officer	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	
Form No. DPT-4  सत्यमेव जयते  Statement regarding deposits existing on the of [Pursuant to rule 20 of the Companies (Acceptance of Deposits)]	
Refer instruction kit for filing the form All fields marked in * are mandatory	
Particulars of the company 1 *Corporate Identity Number (CIN)	
2 (a) *Name of the company	
(b) *Registered office address	
(c) *Email Id	
3 *Whether the company is Company	O Public Company O Private
4 *Whether the company is a government company	O Yes O No
Danagit valeted information	

#### **Deposit related information**

5 Total deposits outstanding as on the commencement of this Act

भाग II—खण्ड 3(i)]	गारत का राजपत्र : असाधारण		35
(a) *Amount (in Rs.)			
(b) *Number of depositors			
6 Details of total deposits mentioned at 5 ak	nove under following heads		
		- )	
Particulars  *Deposits due but not paid	Amount (in Rs	;.) 	
Interest due thereon but not paid			
Deposits due but not claimed			
Interest due thereon but not claimed			
*Deposits not yet due for repayment			
7 *Deposits due for repayment in next three n 3 *Arrangements made for repayment of depo			
Attachments (a) *Auditor's certificate	Max 2 MB	Choose	ve Download
(b) *List of depositors	Max 40 MB	Choose Remov	ve Download
(c) Optional attachment(s) - if any	Max 2 MB	Choose Remov	Download
Declaration I am authorised by the Board of Directors of to  (DD) the Companies Act, 2013 and the rules made to incidental thereto have been complied with.  I also declare that all the information given he this form and nothing material has been suppre *To be digitally signed by *Designation (Director/Manager/CEO/ CFO/Company sec	/MM/YYYY) to sign this form a thereunder in respect of the subjected above is true, correct, and corressed.	and declare that all the recent matter of this form and	d matters
*Director identification number of the directo the manager or CEO or CFO: or Membershi		tary	

Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Save

Submit

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

For office use only:	
eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
	[F.No. 01/8/2013 CL-V(Vol.VI)]
	MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended *vide* notification numbers –

- (1) G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014;
- (2) G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015;
- (3) G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015;
- (4) G.S.R. 639(E), dated the 29th June, 2016;
- (5) G.S.R. 454(E), dated the 11th May, 2017;
- (6) G.S.R. 1172(E), dated the 19th September, 2017;
- (7) G.S.R. 612(E), dated the 5th July, 2018;
- (8) G.S.R. 42(E), dated the 22th January, 2019;
- (9) G.S.R. 341 (E), dated the 30th April, 2019;
- (10) G.S.R. 548 (E), dated the 07th September, 2020.